

पीठासीन अधिकारी
प्रकरण सं० 91/अपील/18

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़
रामचरण शर्मा, आर०ए०एस०
तारीख दायरा 16.10.18

हजारी लाल आ० दयाराम निवासी मोरेली तहसील अकलेरा

अपीलान्त....

बनाम
राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील अकलेरा

रेस्पोंडेन्ट....

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बनाराजी निर्णय दिनांक 12.12.17 तहसीलदार अकलेरा

उपस्थित:- श्री कुलेन्द नागर वकील अपीलान्त

--: निर्णय :-

दिनांक: 20.12.18



अपीलान्त ने यह अपील जयें अभिभाषक तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 12.12.17 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा ने अपीलान्त को ग्राम केवचीखुर्द की आराजी ख०न० 462 किस्म गै०मु० रास्ता की 6 बिस्वा आराजी पर अतिक्रमी मानते हुवे आराजी भूमि से बेदखल किये जाने एवं 11 रू०/-शास्ती एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है-अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भारी भूल की है-विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है आराजी खाली पडी हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

योग्य वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये व्यक्त किया कि अपीलान्त ने प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा जुर्माने की राशि भी जमा करा दी है-अपीलान्त के विरुद्ध द्वितीय अतिचार भी प्रमाणित नहीं है फिर भी उसे सजायाब किया गया है जो उचित नहीं है-अब भविष्य में अपीलान्त अब राजकीय आराजी पर कब्जा नहीं करेगा इस बाबत शपथ पत्र भी अपील के साथ पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई 60 दिन के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान वकील अपीलान्त की बहस पर भी गौर किया गया-अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्त ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा किया था। योग्य अभिभाषक ने निवेदन किया है कि अपीलान्त ने विवादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी है-इसलिए अपीलान्त हमारी राय में कुछ राहत पाने का पात्र हो जाने से यह प्रकरण पुनः जांच का मोहताज है-परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त करते हुए यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में पुनः सुनवाई करे व कब्जे के बाबत आवश्यक तहकीकात कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने की कार्यवाही अमल में लावे। निर्णय आज दिनांक 20.12.18 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

(रामचरण शर्मा)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़
झालावाड़ (राज०)